उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-5/2015/991/92-2-15-23आरई/2003
लखनऊ:: दिनांक:: 20 नवम्बर,2015

कार्यालय-ज्ञाप

विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना, बस्ती द्वारा कराये गये ग्रामीण गोदाम गौरडीह जनपद बस्ती के निर्माण कार्यो में बरती गयी अनियमितताओं एवं शासकीय क्षति आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6580/62-3-2004-23आरई/2003, दिनांक 16-12-2014 द्वारा श्री ए0के0 माथुर, तत्कालीन सहायक अभियंता, विश्व बैंक परियोजना, सम्प्रति ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु श्री एस0के0 सिंह, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी] /अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर के पत्र दिनांक 03-01-2008 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी श्री ए0के0 माथुर के विरूद्व अधिरोपित एक मात्र आरोप स्थापित पाया गया। अतएव जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में स्थापित आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 04-03-2008 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 14-04-2008 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये प्रतिकूल बिन्दुओं के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप स्थापित नही होता है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2004 द्वारा श्री ए0के0 माथुर, तत्कालीन सहायक अभियंता, विश्व बैंक परियोजना, सम्प्रति ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-5/2015/991(1)/92-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री ए0के0 माथुर, तत्कलीन सहायक अभियंता, विश्व बैंक परियोजना, सम्प्रति ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।